

फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,

ए.यू.स्माल फाईनेन्स बैंक लि.बनाम मीणा डेयरी

प्रकरण संख्या 161/2023 (धारा 14 सिक्वोरिटार्डिजेशन एक्ट)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
02.03.2023	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता उपस्थित है। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता को गौर से सुना गया । पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया ।</p> <p>प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रकरण को आगे नहीं चलाने का कथन करते हुये नोट प्रेस किया है। अतः प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा नोट प्रेस किये जाने से प्रार्थी बैंक की ओर से धारा 14 सिक्वोरिटार्डिजेशन एक्ट-2002 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;">²⁴⁷ जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर</p>	<p>Note Miss Vinod 21/2/23</p>